बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–06 / सी0एम0टी0(वि0प0निवेदन)–38 / 2013 परि0-730 / पटना, दिनांक 06/02/2015

बिहार राज्य के अन्तर्गत वाहनों के दुरूस्ती प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 के अन्तर्गत परिवहन विभाग के निबंधन पदाधिकारी द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 के नियम 63 के तहत् निर्गत प्राधिकार–पत्र के आधार पर निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन की व्यवस्था की गई थी। प्राधिकार–पत्र प्राप्त निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशनों के कार्य–कलापों की समीक्षा के पश्चात निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन की व्यवस्था को अधिसूचना की तिथि से समाप्त किया जाता है।

उक्त निर्णय के आलोक में चरणबद्ध तरीके से निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया जाता है:–

(क) किसी भी नये निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन के संचालन हेतु नया प्राधिकार पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

(ख) निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत वैसे प्राधिकार पत्र का नवीकरण नहीं किया जाएगा, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी हो अथवा भविष्य में समाप्त होगी अथवा जिसके नवीकरण का प्रस्ताव पूर्व से लंबित हो। ऐसे प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन के सिक्यूरिटी डिपोजिट के रूप में जमा राशि / बैंक ड्राफ्ट / राष्ट्रीय बचत पत्र प्राधिकार पत्र धारक व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।

(ग) पूर्व से नवीकृत अथवा सम्प्रति वैध प्राधिकार पत्र प्राप्त निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन का नियमानुसार संचालन उनकी वैधता अवधि की समाप्ति तक किया जा सकेगा। वैसे निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन के क्रिया–कलापों एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 63 एवं 65 द्वारा निर्धारित शर्त्तों के अनुपालन की स्थिति की नियमित समीक्षा एवं जाँच निबंधन पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत विभागीय पदाधिकारी अथवा समय–समय पर गठित विभागीय जाँच टीम द्वारा की जाएगी। विहित प्रावधानानुसार शर्त्तों का अनुपालन नहीं करने वाले प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात ये प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन बंद समझे जायेंगे।

(घ) मात्र सम्प्रति वैध प्राधिकार–पत्र प्राप्त निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशनों द्वारा निर्गत वाहन दुरूस्ती प्रमाण–पत्र ही विधिमान्य होगा।

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी विभागीय अधिसूचना, परिपत्र एवं अनुदेश पत्र इस हद तक संशोधित समझे जाएँगे।

4. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–06 / सी0एम0टी0(वि0प0निवेदन)–38 / 2013 परि0–730 पटना, दिनांक 6/02/2015

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा–उपसचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि गजट की 100 प्रतियाँ कार्यालय के व्यवहरार्थ कृपया प्रेषित की जाय।

6/2/15

प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–06 / सी0एम0टी0(वि0प0निवेदन)–38 / 2013 परि0–730 पटना, दिनांक 06/02/2015

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना / माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी / सभी मोटरयायन निरीक्षक / सभी प्राधिकार पत्र धारक, निजी प्राधिकृत टेस्टिंग स्टेशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/2/15

प्रधान सचिव–सह–राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।